न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 111/2021 **दायर दिनांकः 05/07/2021**

उनवान

1. सुरेन्द्र कुमार आयु 50 वर्ष पुत्र रामगोपाल दत्तक पुत्र मथुरा जाति धाकड निवासी बहादुरगंज तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थिति :—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

निर्णय दिनाक : 07/12/2022

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 आर.टी. एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम कोटडा पटवार हल्का चरडाना तहसील अटरू में खाता संख्या 110 की ख0नं0 151, 155, 2 व 3 कुल 4 किता की 0.63 है0 भूमि मथुरा पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड निवासी बहादुरगंज के खाते दर्ज है। जिस पर मथुरा के जीवनकाल से आज तक वादी ही काश्त करता चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न है। मथुरा के ग्राम चरडाना तहसील अटरू में खाता संख्या 211 के ख0नं0 422, 438, 476, 477, 491/742, 502 की कुल 6 किता की 5.22 है0 भूमि खाते दर्ज थी जो वर्तमान में वादी सुरेन्द्र कुमार के खाते दर्ज हो चुकी है। मथुरा ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 20.09.1974 को सब रजिस्ट्रार अटरू के यहां रजिस्टर्ड गोदनामा करवाकर वादी को गोद ले लिया था तभी से मथुरा की मृत्यु दिनांक 15.11.2000 के बाद से ही मथुरा की समस्त चल अचल सम्पत्ति का गोद पुत्र ही मालिक है एवं वारिस है। इस आधार पर ही खाता संख्या 211 की भूमि वादी के खाते दर्ज हो चुकी है। मगर सहवन से वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि वादी के खाते दर्ज होने से रह गई। वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित भूमि को सदैव से वादी काश्त करता चला आ रहा है। दिनांक 15.06.2021 को पटवारी हल्का से

नकल लेते समय मालूम हुआ कि वादी का नाम दर्ज नहीं हुआ है। वादी मथुरा का गोद पुत्र वारिस होने के कारण वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि भूमि को वादी अपने नाम खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाना संभव नहीं है। अगर वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वादी के खाते नहीं की गई तो वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं है तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। इसलिए वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वादी के खाते दर्ज की जावे। वाद कारण दिनांक 15.06.2021 को पटवारी हल्का से नकल लेते समय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वादी के खाते दर्ज नहीं होने की जानकारी होने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से राजस्थान सरकार जर्य जिला कलेक्टर महोदय बारां को रजिस्टर्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा0दी0 मियादी 2 माह प्रेषित करवा दिया है लेकिन प्रतिवादी वादी को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर से बेदखल करने पर आमादा हैं यदि नोटिस की अवधि समाप्त होने का इन्तजार किया गया और इस अवधि के दौरान प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर से वादी को बेदखल कर दिया तो बाद में वादी द्वारा वाद पेश करने का महत्व ही समाप्त हो जावेगा। इस वजह से वादी का वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जा0दी0 के साथ माननीय नयायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं प्रार्थना पत्र 80(2) जा0दी0 स्वीकार फरमाया जाकर वाद की नियमित सुनवाई की जावे। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल कोटडा तहसील अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने की वजह से एवं वाद खातेदारी घोषणा का होने से उक्त वाद में श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी बनाया गया है। वाद राजस्थान टिनेनसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अतः वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी पारित की जावे किः—

(क) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम एवं माल कोटडा तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 110 ख0नं0 151, 155, 2, 3 कुल 4 किता की 0.63 है0 भूमि वादी के खाते दर्ज की जावे।

(ख) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादी को प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामगोपाल दत्तक पुत्र मथुरा के सशपथ बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने अपन सशपथ बयानों में बताया कि मैने एक दावा पेश किया है जिसमें नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडा खाता संख्या 110 पेश की है जो प्रदर्श 1 है। नकल जमाबंदी ग्राम चरडाना खाता संख्या 211 पेश की है जो प्रदर्श 2 है। गोदनामा पेश किया है जो प्रदर्श 3 है। मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है जो प्रदर्श 4 है। मथुरालाल पुत्र रामचन्द्र निवासी बहादुरगंज का है। मेने एक दावा ग्राम कोटडा तहसील अटरू की खाता संख्या 110 के ख0नं0 151, 155, 2 व 3 कुल 4 किता की 0.63 है0 भूमि को मेरे खाते दर्ज करने हेतु पेश किया है। मुझे मथुरालाल ने रजिस्टर्ड रूप से सब रजिस्ट्रार अटरू के यहा गोद लिया था व गोदनामा रजिस्टर्ड करवाया था। तभी से मैं मथुरालाल के पास निवास करता था। मथुरालाल की सभी प्रकार की सेवा मेने की थी एवं उनके अन्तिम क्रियाक्रम भी मेने किये थे। उनकी पगडी भी मेरे बंधी थी। उनके खाते में ग्राम चरडाना में खाता संख्या 211 की 5.22 है0 भूमि थी। जो मेरे खाते दर्ज हो चुकी हैं एवं उनकी एक और खाते ग्राम कोटडा के माल में 0.63 है0 भूमि है जो मथुरालाल के नाम है जो सहवन से इंतकाल दर्ज होने से रह गई। खाता संख्या 110 व खाता संख्या 211 की सभी भूमि को मथुरालाल जी के समय से मैं ही काश्त करता आ रहा हूॅ। मुझे खाता संख्या 110 में काश्त करने मे फौती इन्तकाल दर्ज नहीं होने से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड रहा है। जिसमें मुझे व मेरे परिवार वालों को कोई अपात्ति हीं है। इसलिए ग्राम कोटडा की खाता संख्या 110 की 0.63 है0 भूमि गोदनाम के आधार पर प्रार्थी के खाते दर्ज की जावे।

Pw2 गंगाधर पुत्र चतुर्भूज जाति धाकड का सशपथ बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने अपन सशपथ बयानों में बताया कि ग्राम कोटडा तहसील अटरू की खाता संख्या 110 के ख0नं0 151, 155, 2 व 3 कुल 4 किता की 0.63 है0 भूमि मथुरा पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड निवासी बहादुरगंज के खाते दर्ज है। जिस पर सुरेन्द्र कुमार की काश्त करता है। क्योंकि मथुरा ने सुरेन्द्र को रजिस्टर्ड रूप से गोद लिया था । मथुरा के खाता संख्या 211 की 6 किता की 5.22 है0 भूमि सुरेन्द्र के खाते दर्ज हो चुकी है। मगर सहवन से खाता संख्या 110 की जमीन 0.63 है0 सुरेन्द्र कुमार के खाते दर्ज नहीं हुई। सुरेन्द्र कुमार ही मथुरा का गोद पुत्र है। इसलिए खाता संख्या 110 की भूमि सुरेन्द्र कुमार के खाते दर्ज की जावे। क्योंकि मथुरा की फाग भी सुरेन्द्र कुमार के ही बंधी थी। सुरेन्द्र कुमार ने ही मथुरालाल के सभी अंतिम क्रियात्मक सम्पन्न किये थे।

Pw3 छीतरलाल पुत्र घनश्याम जाति धाकड का सशपथ बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने अपन सशपथ बयानों में बताया कि ग्राम कोटडा तहसील अटरू की खाता संख्या 110 की 4 किता की 0.63 है0 भूमि स्थित है। जो मथुरालाल पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड निवासी बहादुरगंज ने अपने जीवनकाल में ही सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी बहादुरगंज को रजिस्टर्ड रूप से गोद लिया था। मथुरालाल के सभी अंतिम क्रियाक्रम भी सुरेन्द्र कुमार ने किये थे व पाग भी सुरेन्द्र कुमार के ही बंधी थी। मथुरालाल के ग्राम चरडाना में खाता संख्या 211 की 6 किता की 5.22 है0 भूमि भी थी जो गोदनामा के आधार पर सुरेन्द्र कुमार के खाते दर्ज हो चुकी है। मगर सहवन से ग्राम कोटडा की खाता संख्या 110 की 0.63 है0 भूमि सुरेन्द्र कुमार के खाते दर्ज नहीं हुई। मथुरालाल का गोद पुत्र एवं वारिस सुरेन्द्र कुमार ही है। इसलिए ग्राम कोटडा की ख0नं0 110 की 0.63 है0 भूमि सुरेन्द्र कुमार के खाते दर्ज की जावे। इस पर सुरेन्द्र कुमार का ही कब्जा चला आ रहा है।

3. ग्राम कोटडा की विवादित आराजी की तहसीलदार अटरू से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा दिनांक 06.07.2022 को रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार ग्राम कोटडा के खाता संख्या 110 ख0नं0 151 की 0.31 है0, ख0नं0 155 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 2 की 0.03 है0, ख0नं0 3 की 0.03 है0 किता 4 का रकबा 0.63 है0 भूमि मथुरा पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड निवासी बहादुरगंज के खाता दर्ज रिकार्ड था। ग्राम चरडाना में खाता संख्या 211 ख0नं0 422 की 0.36 है0, ख0नं0 438 की 0.14 है0, ख0नं0 476 की 0.01, ख0नं0

477 रकबा 3.33 है0, ख0नं0 491/742 की 0.12 है0, ख0नं0 502 की 1.26 किता 6 रकबा 5.22 है0 सुरेन्द्र दत्तक पुत्र मथुरालाल जाति धाकड के खाता दर्ज रिकार्ड है एवं रहन सीबीआई. अटरू चला आ रहा है। मद क्रम 3 वादी स्वयं साबित करे। मद क्रम 4 ख0नं0 ग्राम कोटडा में ख0नं0 151 की 0.31, ख0नं0 155 की 0.26 है0 पर वादी काश्त करता आ रहा है। मद क्रम 5 न्यायालय से संबंधित है। मद क्रम 6 न्यायालय से संबंधित है। मद क्रम 7 से 11 न्यायालय से संबंधित है।

4. अभिभाषक वादी एकतरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि मृतक खातेदार मथुरा लाल पुत्र रामचन्द्र धाकड निवासी बहादुरगंज द्वारा वादी को जरिये रजि0 गोदनामा दिनांक 20.09.1974 से गोद लिया गया था और खातेदार मथुरालाल की वृद्धावस्था में वादी द्वारा ही सेवा व देखभाल की गई थी। खातेदार मथुरा लाल पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु दिनांक 15.11.2000 के बाद उनकी सम्पूर्ण चल अचल संपत्ति उनके दत्तक पुत्र वादी सुरेन्द्र को प्राप्त हुई थी। इसी रजि0 गोदनामा के आधार पर मृतक खातेदार की आराजी ग्राम चरडाना खाता संख्या 211 कुल किता 6 कुल रकबा 5.22 है0 वादी के खाते दर्ज रिकार्ड हुई लेकिन प्रतिवादी तहसीलदार के कार्मिकों की गलती से मृतक मथुरा लाल के ग्राम कोटडा पटवार हल्का चरडाना स्थित कृषि आराजी खाता संख्या 110 कुल किता 4 कुल रकबा 0.63 है0 भूमि वादी के खाते दर्ज नहीं हो पायी थी। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त रजि0 गोदनामें के आधार पर ग्राम कोटडा की विवादित आराजी खाता संख्या 110 की आराजी को वादी के खाते दर्ज किया जावे।

5. अभिभाषक वादी की बहस के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत ग्राम कोटडा की जमाबन्दी संवत 2071 से 74 **प्रदर्श 1** खाता संख्या 110 के ख0नं0 151 की 0.31 है0, 155 की 0.26 है0, 2 की 0.03 है0, 3 की 0.03 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.63 है0 आराजी मथुरा पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड के दर्ज खाता स्थित है। वादी द्वारा पेश **दस्तावेज प्रदर्श 3** का अवलोकन किया गया । उक्त दस्तावेज का कोई शीर्षक/टाईटल नहीं है। उक्त दस्तावेज में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उक्त दस्तावेज एक प्रकार का वसीयतनामा है जिसमें मथुरालाल द्वारा अपनी पुत्री घींसीबाई के नाबालिग पुत्र सुरेन्द्र–वादी को गोद ले रखने का उल्लेख है। उक्त दस्तावेज

में केवल दस्तावेज कर्ता मथुरालाल के हस्ताक्षर है। उल्लेखित नाबालिग गोदपुत्र सुरेन्द्र **माता पिता तथा गोद ग्राहिता की पत्नी** के हस्ताक्षर नहीं है। अतः यह दस्तावेज गोदनामा नहीं है। उक्त दस्तावेज में दस्तावेजकर्ता के साथ साथ सब रजिस्ट्रार अटरू द्वारा जगह जगह **हिब्बानामा** शब्द का भी उपयोग किया गया है जिसके आधार पर यह दस्तावेज दानपत्र भी प्रतित होता है। इस दस्तावेज की भाषा से यह एक प्रकार की **वसीयत** भी प्रतीत होती है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश दस्तावेज प्रदर्श 3 की प्रकृति को शीर्षक/टाईटल के अभाव एवं इसमें वर्णित विरोधाभाषी तथ्यों के आधार पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

वादी द्वारा पेश ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र दिनांक 11.10.2022, ग्राम चरडाना के खाता संख्या 211 की जमाबंदी संवत 2073–76 प्रदर्श 2 एवं साक्ष्यगवाहन पी.डब्ल्यू 1, पी.डब्ल्यू 2 व पी.डब्ल्यू 3 के आधार पर प्रथम दृष्टया साबित होता है कि वादी को मृतक खातेदार मथुरा लाल पुत्र रामचन्द्र धाकड द्वारा अपने जीवनकाल में गोद लिया है। **मृतक मथुरालाल के शेष वारिसानों के बारे में कोई कथन नहीं किया गया है।**

6. वादी द्वारा पेश रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 20.09.1974 प्रदर्श 3 में दस्तावेजकर्ता मथुरालाल पुत्र रामचन्द्र धाकड ने अपने एक पुत्री घींसीबाई होने का कथन किया है और अपनी इसी पुत्री के पुत्र सुरेन्द्र को गोद रखने का उल्लेख किया है। अतः स्पष्ट है कि मृतक मथुरालाल पुत्र रामचन्द्र के दत्तक पुत्र सुरेन्द्र के अलावा कम से कम 1 कानूनी वारिसान उनकी पुत्री घींसीबाई है। **घींसीबाई के अलावा मृतक खातेदार मथुरालाल पुत्र रामचन्द्र के अन्य कानूनी वारिसानों का उपलब्ध दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख नहीं है।** यद्यपि पेश दस्तावेज प्रदर्श 3 में मथुरालाल द्वारा तात्कालिन आराजी ख0नं0 341, 343, 361, व 385 हाल ख0नं0 422, 438, 476, 477, 491/742 व 502 को वादी सुरेन्द्र को हिब्बानामा करने का उल्लेख किया है तथापि खातेदार मथुरालाल की मृत्यु के बाद उक्त कृषि आराजी हाल खाता संख्या 211 कुल किता 6 कुल रकबा 5.22 है0 वादी सुरेन्द्र के खाते किस आधार पर दर्ज हुई है– यह भी उपलब्ध पत्रावली से स्पष्ट नहीं है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम कोटडा पटवार हल्का चरडाना के ख0नं0 151 की 0.31 है0, 155 की 0.26 है0, 2 की 0.03 है0, 3 की 0.03 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.63 है0 पर वादी का वाद न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादी का न्यायहित में आंशिकतः स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कोटडा के ख0नं0 151 की 0.31 है0, ख0नं0 155 की 0.26 है0, ख0नं0 2 की 0.03 है0, ख0नं0 3 की 0.03 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.63 है0 आराजी पर मृतक खातेदार मथुरा लाल पुत्र रामचन्द्र धाकड के **वादी सहित अन्य सभी कानूनी वारीसानों की जांच कर** हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 111/2021 **दायर दिनांकः 05/07/2021**

उनवान

1. सुरेन्द्र कुमार आयु 50 वर्ष पुत्र रामगोपाल दत्तक पुत्र मथुरा जाति धाकड निवासी बहादुरगंज तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....ग..... रूबरू.....ग.....
बहाजिर :–
वादीग :– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम कोटडा के ख0नं0 151 की 0.31 है0, ख0नं0 155 की 0.26 है0, ख0नं0 2 की 0.03 है0, ख0नं0 3 की 0.03 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.63 है0 आराजी पर मृतक खातेदार मथुरा लाल पुत्र रामचन्द्र धाकड के **वादी सहित अन्य सभी कानूनी वारीसानों की जांच कर** हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक **07.12..2022** को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)